Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा की गई
	Government:-	अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता,
	(Adverse comments made by any	अति उच्च दाब निर्माण संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत
	officer or authority in Part-B or	पारेषण कंपनी मर्यादित कोरबा को सूरजपुर जिले के
	Part-C or Part -D above should be	सूरजपुर वन मंडल अंतर्गत 4.253 हे. राजस्व वन भूमि एवं
	specifically commented upon)	कक्ष क्र. पी. 1777 का 0.687 हे. संरक्षित वन भूमि कुल
		4.940 हे. वन भूमि में 132 के.व्ही. विश्रामपुर से कौशलपुर
		(रामानुजनगर) पारेषण लाईन बिछाने के गैर वानिकी कार्य
		हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव
		पर राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

Date:

8 -10-2018

Place:

Atal Nagar, Chhattisgarh

Name

Designation